लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/भण्डार/साय.वित./2011/ 45 भोपाल, दिनांक 5/7/11

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश।

विषय :– निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना वर्ष 2011–12

––0––

निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना अंतर्गत वर्ष 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 9वीं में अध्ययनरत् ऐसे बालक/बालिकाए इस योजना से लाभांवित होगें, जिनके गांव में शास. हाईस्कूल स्थापित नहीं है तथा वे एक गांव से दूसरे गांव/शहर में शास. हाईस्कूल में अध्ययन के लिए जाते है।

(2) सायकिल प्रदाय योजना अंतर्गत पात्रताधारी बालक/बालिका को उनकी पसंद की सायकिल क्रय करने हेतु पात्र बालक/बालिका अथवा उनके पालक को ₹ 2400 के रेखांकित (Crossed) चेक शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से प्रदाय किये जायेगें। चेक पालक के नाम से बालक का नाम भी अंकित करते हुये जारी किया जाए। उदाहरण के लिये यदि बालक का नाम लक्ष्मण है और पिता का नाम मोहन सिंह है तो चेक "मोहन सिंह F/O लक्ष्मण" के नाम से जारी किया जाये ।

(3) सायकिल का मूल्य यदि ₹ 2400 से अधिक होता है तो अधिक राशि का भुगतान हितग्राही बालक/बालिका के पालक द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) हितग्राही बालक/बालिका के पात्रता निर्धारण का दायित्व संस्था प्रमुख का होगा तथा सायकिल का क्रय एवं उसकी गुणवत्ता व पसंद का दायित्व हितग्राही बालक/बालिका एवं उसके पालक का होगा।

(5) वर्ष 2011–12 में शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत् सभी बालक/बालिकाओं से संबंधित जानकारी के फार्म तैयार किये जा रहे है। इस फार्म से संबंधित का डेटा–बेस तैयार किया जायेगा। इसके उपरांत निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना अंतर्गत बालक/बालिकाओं के पात्रता का निर्धारण हो जायेगा। इस कार्यवाही के उपरांत ही पात्रताधारी बालक/बालिकाओं को चेक वितरण की कार्यवाही की जाए।

(6) ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्यालय जिन्हें शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के वर्तमान बैंक खाते से चेक वितरण करने में इस कारण कठिनाई हो कि बैंक शाखा ग्राम से बहुत दूर है । वे शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का अतिरिक्त बैंक खाता केवल सायकिल प्रदाय योजना के चेक वितरण के लिए विद्यालय के समीपस्थ गांव में खोल सकते है।

(7) बालक/बालिकाओं को इस योजना अंतर्गत चेक का प्रदाय समारोह आयोजित करके किया जायेगा। इस समारोह में जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा।

(8) सायकिल प्रदाय योजना वर्ष 2010–12 का गतिविधि कैलेण्डर संलग्न है।

2.7.11

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठां क्रमांक/भण्डार/साय.वित./2011/ 46 भोपाल, दिनांक 4/7/11

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

सायकिल प्रदाय योजना- कैलेण्डर- वर्ष 2011-12

क्रमांक	गतिविधि	अवधि
1	2	3
1	राज्य स्तर से जिलों को अनुमानित राशि जारी करना।	20 मई 2011
2	नवीन प्रवेशित एवं पूर्व से प्रवेशित छात्र/छात्राओं की जानकारी की 20.07.2011 की स्थिति में जानकारी दर्ज करना।	30 जुलाई 2011 तक
3	संस्था प्रमुख द्वारा हितग्राही बालक/बालिकाओं की जानकारी पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषण।	5 अगस्त, 2011 तक
4	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत हितग्राही बालक/बालिकाओं की सूची पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर आयुक्त लोक शिक्षण को प्रेषण।	10 अगस्त, 2011 तक
5	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम अग्रिम राशि प्रदान करना।	12 अगस्त, 2011 तक
6	जन प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में समारोह आयोजित कर पात्र बालक/बालिका अथवा पालक को चेक का वितरण करना	15 अगस्त के पूर्व
7	सभी पात्र बालक/बालिकाओं की जानकारी ऑन लाईन दर्ज करना।	05 सितबंर 2011 तक
8	जिला शिक्षा अधिकारी को द्वितीय मांग पत्र का प्रेषण।	10 सितबंर 2011 तक
9	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण को द्वितीय मांग पत्र का प्रेषण	15 सितबंर 2011 तक
10	द्वितीय मांग पत्र के आधार पर पात्र बालक/बालिकाओं के पालक को उनकी पसंद की सायकिल प्रदाय करने हेतु विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से चैंक प्रदान करना।	20 सितम्बर 2011 तक

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.